38 शासन का प्रशासनिक ढाँचा, नीतियाँ और उनका प्रभाव

प्रशासनिक ढाँचा

- जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ, उन्हें तीन प्रेसीडेंसियों (प्रांतों) में बाँटा गया- बंगाल, मद्रास और बम्बई।
- 1853 ई. में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया। प्रारम्भ में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः कम्पनी के हाथों में था। परन्तु कालांतर में इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया।
- प्रारम्भ में कम्पनी के अधिकारी ही प्रशासन के अधिकारी थे उनका कार्य राजस्व वसूल करना था। इसके अतिरिक्त वे कुछ अन्य असैनिक कार्य भी करते थे। परन्तु कंपनी के अधिकारी अयोग्य प्रबंधक थे।
- कम्पनी को भारतीय प्रशासन के तरीकों और कठिनाइयों की जानकारी नहीं थी। इससे भी चिन्ताजनक बात पैसों के लिए उनका लालच था। कम्पनी को धनी बनाने और अपने लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने बंगाल का सबसे अधिक शोषण किया, परिणामस्वरूप बंगाल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी।
- किसानों और जमींदारों से उन्होंने स्थानीय छोटे व्यापारियों व दस्तकारों को अपना माल कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया। इसके फलस्वरूप लोग राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को परदेसी यमदूत मानने लगे।
- इस स्थिति का लाभ उठाकर कम्पनी के अधिकारियों ने अत्यधिक व्यक्तिगत धन जमा किया। नौकरी से अवकाश लेकर इंग्लैण्ड लौटने पर वे आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगे। इंग्लैण्ड के लोग उन्हें नवाब कहकर पुकारते थे।
- इधर भारत में आम जनता का जीवन अत्यधिक दुःखमय होता गया। विपत्ति के दिनों के लिए वे कुछ भी बचा कर रखने में असमर्थ हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें 1770-71 ई. के अकाल में भुगतने पड़े। अकाल से बंगाल में लगभग एक-तिहाई लोगों की मृत्यु हो गई।

रेग्यूलेटिंग एक्ट : 1773 ई.

- कुशासन के कारण बंगाल में वृहद् स्तर पर अव्यवस्था फैल गई थी। अतः ब्रिटिश संसद को बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कम्पनी के मामलों की जाँच करनी पड़ी, जिससे ज्ञात हुआ कि, कम्पनी के उच्च अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे।

भारत का संवैधानिक विकास

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अंतर्गत भारत (1773-1853)	ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत (1858-1947)
रेग्यूलेटिंग एक्ट-1773	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट-1858
पिट्स इंडिया एक्ट-1784	इंडियन काउंसिल एक्ट-1861
चार्टर एक्ट-1793	इंडियन काउंसिल एक्ट-1892
चार्टर एक्ट-1813	इंडियन काउंसिल एक्ट-1909 (मार्ले-मिन्टो सुधार)
चार्टर एक्ट-1833	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट-1919 (मांटेग्यू-चेम्सफार्ड सुधार)
चार्टर एक्ट-1853	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट-1935
	अगस्त प्रस्ताव-1940
	क्रिप्स प्रस्ताव-1942
	कैबिनेट मिशन-1946
	माउंटबेटन योजना-1947

- उस समय कम्पनी वित्तीय संकट में थी तथा उसने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पौंड ऋण माँगा था।

ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि, भारत में कम्पनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, इसलिए **1773 ई. में रेग्युलेटिंग एक्ट** (नियमन कानून) बना। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। कम्पनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया था।

- कम्पनी के निदेशकों (डायरेक्टरों) से कहा गया कि, वे सैनिक असैनिक और राजस्व सम्बंधी सभी प्रकार के साक्ष्य ब्रिटि सरकार के सामने प्रस्तुत करें।
- इस एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढाँचा तैयार करने विशेष व्यवस्था की गई।
- कम्पनी की कलकत्ता की फैक्टरी का अध्यक्ष बंगाल का ग होता था। अब उसे कम्पनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों गवर्नर जनरल बनाया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर अधीन काम करने लगे।
- गवर्नर जनरल की मदद के लिए चार सदस्यों की एक (कौंसिल) बनाई गयी।

न्याय व्यवस्था के लिए इस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1774 में **कलकत्ता** में एक **सर्वोच्च न्यायालय** (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना हुई, जिसके प्रथम जज **एलिजा इम्पे** थे।

- प्रत्येक अधिकारी के लिए आवश्यक हो गया कि, वह इंग्लैण्ड वापस लौटते समय अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दे। परन्तु रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियाँ जल्दी ही स्पष्ट हो गयीं।

पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784

यह अधिनियम कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर **ब्रिटिश ताज** (Crown) के स्वामित्व के दावे का पहला **वैधानिक दस्तावेज** था।

- इस एक्ट के माध्यम से कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग-अलग कर दिया गया।
- व्यापारिक क्रिया-कलापों को कम्पनी के निदेशकों के हाथों में यथावत् रखते हुए, राजनैतिक क्रिया-कलापों (सैनिक, असैनिक व राजस्व सम्बंधी) के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैण्ड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक-मण्डल (Board of Control) की स्थापना की गई।

1786 का अधिनियम

- इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद् के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई।

1793 का चार्टर एक्ट

- इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कम्पनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
- इस एक्ट में नियंत्रक मण्डल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई।
- ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया।

चार्टर एक्ट, 1813

- इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गयी। किन्तु, कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।
- भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियाँ बनाई गईं। इस चार्टर ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया।

1833 का चार्टर अधिनियम

- इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थीं।

इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था।

- इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी का चाय व चीन के साथ व्यापार प्रतिबन्धित हो गया।
- इस अधिनियम में मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका सम्बंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत, पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून (Regulatory Laws) कहा गया एवं नए कानून के अन्तर्गत बने कानूनों को अधिनियम (Act) कहा गया।
- इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी जिसके द्वारा जाति, वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया।

1853 का चार्टर अधिनियम

- इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु, भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद् (All India Legislative Council) की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रान्तों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू किया गया। परिषद् की इस शाखा ने निम्न संसद की तरह कार्य किया।
- गवर्नर जनरल की परिषद् में छः नए सदस्यों में से, चार का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था।

भारत शासन अधिनियम, 1858

- वर्ष 1858 के पश्चात् ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य, 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह (वायसराय) भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया।
- इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) व निदेशक बोर्ड (Board of Directors) को समाप्त कर भारत शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया।

भारत परिषद् अधिनियम, 1861

- 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारम्भ की, जिसे सहयोग की नीति (Policy fo Association) या उदार निरंकुशता (Benevolent Distortion) की संज्ञा दी जाती है। इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया।

> 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को **अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान** की गई। इस **शक्ति** का प्रयोग वह स्वविवेक से कर सकता था।

- गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि, वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत, प्रेसीडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है।

भारत परिषद् अधिनियम, 1892

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था।
- इस अधिनियम में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। विधानपरिषद् की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब इसे आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई।
- परिषद् के सदस्यों को जनहित से सम्बंधित मुद्दों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त था।

भारत परिषद् अधिनियम, 1909

- इस अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार (Marley Minto Reforms) के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैण्ड में भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे।
- इसने केन्द्रीय और प्रांतीय विधानपरिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केन्द्रीय परिषद् में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधानपरिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी।
- पहली बार भारतीयों को भारत सचिव तथा वायसराय के परिषद में स्थान दिया गया तथा बजट पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।

भारत शासन अधिनियम, 1919

- 1919 ई. के अधिनियम को माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉण्टेग्यू और भारत में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे।
- यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त, 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मॉण्टेग्यू ने एक घोषणा की, जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था।
- तत्कालीन समय में सुधारों की माँग, होमरूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया।
- इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई।
- इस अधिनियम से प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हो गई।
- इस अधिनियम के द्वारा केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई अर्थात् केन्द्रीय विधान परिषद् का स्थान राज्य परिषद् (उच्च सदन) एवं विधान सभा (निम्न सदन) वाले द्विसदनात्मक विधानमण्डल ने ले लिया।
- चुनाव के लिए मताधिकार उच्च समाप्ति धारकों को दिया गया।

भारत शासन अधिनियम, 1935

- **अखिल भारतीय संघ** की स्थापना
- 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया
- **संघीय न्यायालय** का प्रावधान
- इंग्लैण्ड में भारत परिषद् की समाप्ति
- **रिजर्व बैंक** की स्थापना
- **लोक सेवा आयोग** की स्थापना
- भारत से वर्मा को अलग किया गया
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार
- केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ
- प्रांतों में स्वायत्ता एवं द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति

न्याय–व्यवस्था

- अंग्रेजों ने कुछ समय तक भारत में प्रचलित कानूनों को ही चलाया। भारतीय परम्परा के अनुसार, विवाह और उत्तराधिकार आदि से सम्बंधित कानून रीति-रिवाजों और धर्मशास्त्रों पर आधारित थे।
- राजस्व और अपराधों से सम्बंधित मुकदमों का निर्णय शासक या उनके द्वारा नियुक्त न्यायाधीश करते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में दखल देना उचित नहीं समझा।
- 1774 ई. में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीशों ने कुछ समय तक अंग्रेजी कानून लागू करने का प्रयत्न किया, लेकिन इस कानून को न तो कम्पनी की सरकार ने पंसद किया, न ही भारतीय जनता ने पसंद किया।

- 1781 ई. के एक्ट द्वारा अंग्रेजी कानून के प्रयोग को मात्र अंग्रेजों तक सीमित कर दिया गया। परन्तु बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय प्रजा के लिए सुनिश्चित कानूनों की आवश्यकता महसूस की गई।
- 1793 ई. में बंगाल रेग्युलेशन एक्ट बना। जिसके अनुसार, न्यायालयों में भारतीयों के निजी और स्वामित्व अधिकारों के पक्ष में निर्णय होने लगे। इस रेग्युलेशन एक्ट में पर्याप्त सीमा तक हिंदुओं और मुसलमानों के वैयक्तिक कानूनों को सम्मिलित किया गया था।
- रेग्युलेशन एक्ट को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया। पौराणिक (पारंपरिक) प्रथाओं और शासक की अनुमति पर आधारित न्याय व्यवस्था के स्थान पर लिखित कानूनों और नियमों की न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आ गई।
- भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालीय कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए 1833 ई. में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक जिले में न्यायालय स्थापित किया गया।

कानून बनाकर और न्यायालय स्थापित करके जो **विधि का शासन** अंग्रेजों ने प्रारम्भ किया था; वह भारतीयों के लिए एक नया अनुभव था। इस नवीन प्रभुसत्ता को भारतीय लोग **कम्पनी बहादुर** कहते थे।

ब्रिटिश सरकार का बढ़ता नियंत्रण

- 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक कम्पनी का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो गया। 1813 ई. में भारत के साथ व्यक्तिगत व्यापार करने का कम्पनी का विशेषाधिकार प्रारम्भ हो गया। भारतीय व्यापार सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया।
- 1813 ई. के पश्चात् भी चीन के साथ एवं चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कायम रहा। 1833 ई. के चार्टर एक्ट ने कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया।
- ब्रिटिश सरकार भारत पर अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढाँचे का केंद्रीकरण किया गया।
- 1833 ई. के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सभी अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् (कौंसिल) को सौंप दिए।
- इस केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के कारण ब्रिटिश भारत के प्रशासन प्रणाली पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया।

अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ एवं उनके प्रभाव

- अंग्रेजों ने जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया उनके कारण भू-राजस्व प्रणाली, कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- भारत के गाँव लगभग आत्मनिर्भर थे। वे खाने-पीने की चीजें स्वयं पैदा करते थे तथा अपने औजार-बर्तन आदि स्वयं बनाते थे।
- गाँवों में होने वाले विवादों का निपटारा पंचायतें और जाति-पंचायतें करती थीं। बाहर की कुछ ही वस्तुओं की गाँव के लोगों को आवश्यकता पड़ती थी; जैसे नमक, अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा, धातुओं के औजार और श्रीमंतों के लिए सोना व चाँदी।
- किसान परिवार कृषि करते थे तथा अपनी उपज का एक हिस्सा राजस्व के रूप में शासक को देते थे। भूमि के मामले में उन्हें कुछ विशेष अधिकार थे और उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। राज्य सामान्यतः गाँव के प्रधान के द्वारा राजस्व की वसूली करता था।
- अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया, तथा अपने अधिकारियों और भारतीय एजेंटों के नियंत्रण में पुरानी व्यवस्था को जारी रखा। अफसर किसानों को प्रताड़ित करने लगे जिसके कारण कम्पनी की बड़ी बदनामी हुई, परिणामस्वरूप उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी।
- राजस्व अधिकारियों, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों के व्यापक हस्तक्षेप का दौर प्रारम्भ हुआ।

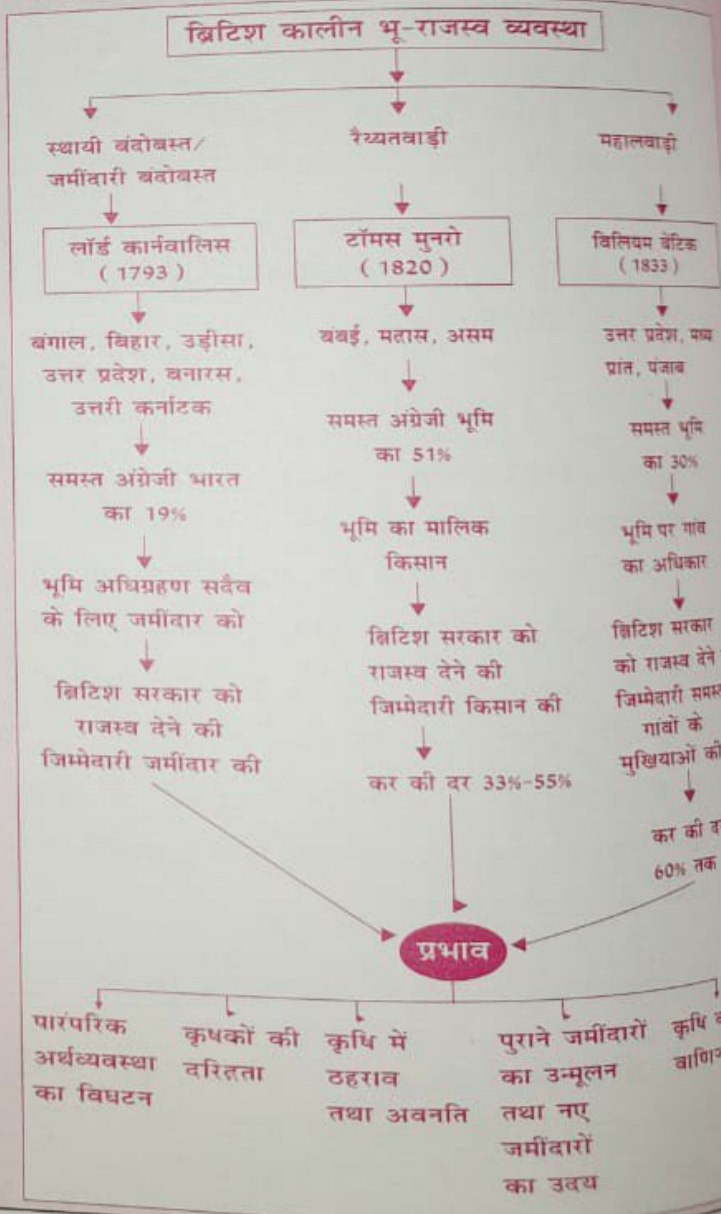

ग्राम पंचायतों की सत्ता समाप्त हो गई। राजस्व निश्चित रकम के रूप में वसूल किया जाने लगा, भले ही उत्पादन कुछ भी क्यों न हो। राजस्व की वसूली मुद्रा के रूप में होने लगी, इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए विवश हुए, जिन्हें बाजार में बेचा जा सके।

- गाँवों में कपड़े और अन्य उत्पादित वस्तुएँ पहुँचने लगीं तो स्थानीय दस्तकारों के धंधे भी संकट में आ गये। इन सब कारणों से गाँवों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई।

भूमि व्यवस्था

- ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार के साथ-साथ भू-राजस्व वसूली की राशि भी बढ़ती गई। भू-राजस्व, कम्पनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत हो गया। इस आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी, सरकार को भेंट के रूप में देती थी। 1767 ई. से कंपनी को प्रत्येक वर्ष 4,00,000 पौंड ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने पड़ते थे।

गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने **1772 ई.** में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर **फार्मिंग सिस्टम (इजारेदारी प्रथा)** का प्रारम्भ भू-राजस्व की वसूली के लिए किया। फार्मिंग सिस्टम के अन्तर्गत कम्पनी किसी क्षेत्र या जिले के भू-क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे सौंपती थी, जो सबसे अधिक बोली लगाता था।

- कंपनी राजस्व का एक भाग भारत से इंग्लैंड व अन्य देशों को निर्यात करती थी।

किसान/नागरिक विद्रोह

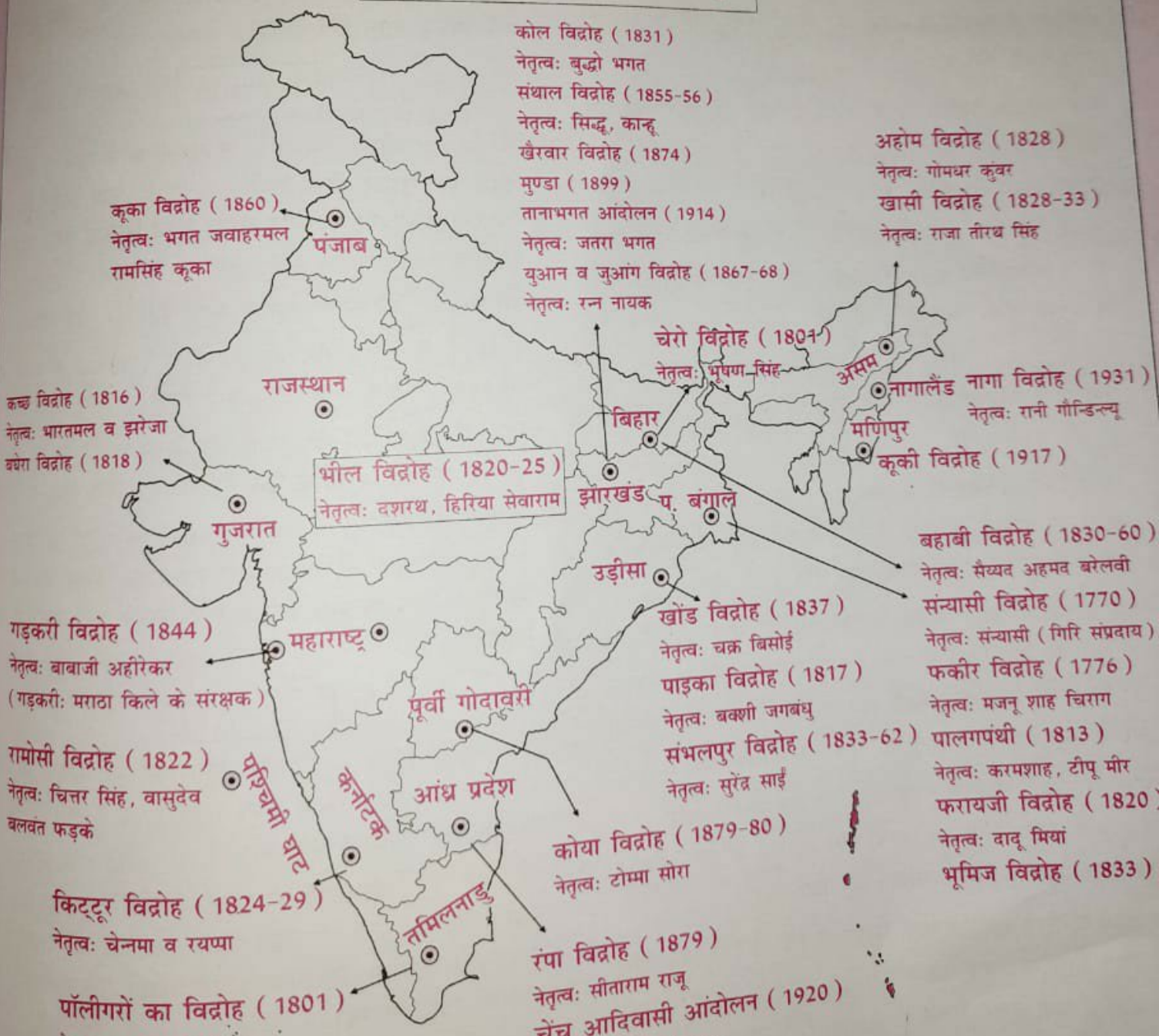

प्रमुख कृषि पद्धतियाँ

प्रथा	विशेषता
1. तिनकठिया प्रथा	बिहार के चम्पारण जिले में किसानों को इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज नील बागानों से अनुबंध के तहत अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी।
2. दुबला हाली प्रथा	इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली प्रथा के अंतर्गत भू-दास अपनी सम्पत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। यह प्रथा **सूरत** में प्रचलित थी।
3. ददनी प्रथा	इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी, भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि को निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे।
4. कमियौटी प्रथा	इस प्रथा के अनुसार, कृषि दास के रूप में खेती करने वाली **कमिया जाति**, अपने मालिकों से मिले ऋण के ब्याज के बदले जीवनपर्यंत उनकी सेवा करते थे। यह प्रथा **बिहार** व **उड़ीसा** में प्रचलित थी।

इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। समस्त महाल ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। इस व्यवस्था का श्रेय हाल्ट मैकेंजी को जाता है।

- गाँवों के प्रधान ब्रिटिश जिलाधिकारी के अन्तर्गत हो गए। निश्चित समय में सरकार को राजस्व अदा करने के कानून के कारण अनेक छोटे भू-स्वामी अपनी सम्पत्ति को गिरवी रखने या उससे बेदखल होने पर विवश हुए। इसमें लगान की दर परिवर्तनशील रही।
- इन नई भूमि व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषि उत्पादन को बाजार के साथ जोड़ कर इसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया। परिणामस्वरूप खाद्यान्न व नकदी फसलें और बागान की वस्तुएँ आदि देशी एवं विदेशी बाजारों के लिए बिक्री की महत्वपूर्ण वस्तुएँ बन गईं।
- ब्रिटिश व्यापारी अफीम को बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे चीन ले जाने लगे। भारत में अफीम की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया।
- दक्कन की काली मिट्टी में कपास की खेती को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। अंग्रेजों को जूट, चाय और कहवा के निर्यात से अधिकाधिक मुनाफा मिलने लगा।
- यह व्यवस्था समाजिक व आर्थिक रूप से असफल सिद्ध हुयी।

उद्योग और व्यापार

- सूती कपड़ों का उत्पादन देश के अनेक भागों में होता था। इसके उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद और मदुरई इत्यादि थे। यहाँ लौह-इस्पात, ताँबा, पीतल, सोना और चाँदी की वस्तुएँ भी बहुत प्रसिद्ध थीं।
- सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत बहुत प्रसिद्ध था। जहाज निर्माण के मुख्य केंद्र गोवा, सूरत, मसूलीपट्टनम, सतगाँव इत्यादि थे।
- गुजरात के शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे। ये श्रेणियाँ उत्पादित वस्तुओं के स्तर पर नजर रखती थीं तथा अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखती थीं। ग्राहकों के आग्रह पर और उनके द्वारा प्रदान की गई सामग्री के अनुसार शिल्पकार वस्तुओं का निर्माण करते थे।

भारतीय उद्योगों का पतन

- ब्रिटिश प्रदेशों में राजे-रजवाड़ों के धीरे-धीरे समाप्त हो जाने के कारण भारतीय उद्योगों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की माँग घटती गई।
- राजा और सामंत कुशल कारीगरों को नियमित वेतन देते थे, जबकि अंग्रेजों ने भारतीय शिल्पकारों को उस प्रकार का आश्रय प्रदान नहीं किया।
- भारत का भाग्य अब इंग्लैण्ड के व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथों में था। यद्यपि भारत की अधिकांश कृषि उपज देश में ही उपभोग होती थी, परन्तु दूसरे देशों में भी भारतीय वस्तुओं की माँग थी।
- भारत से निर्यातित होने वाली वस्तुओं में अच्छे सूती व रेशमी कपड़े, मसाले, नील, चीनी, औषधियाँ, कीमती पत्थर और विभिन्न प्रकार की शिल्प-वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान था। जिसके बदले में भारत को सोना व चाँदी प्राप्त होता था।
- सत्रहवीं सदी के अंत तक भारत के सूती कपड़ों की इंग्लैण्ड में इतनी अधिक माँग बढ़ गई कि वहाँ का कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया।
- परिणामतः इंग्लैण्ड में पहले 1700 ई. में और पुनः 1720 ई. में कानून बनाकर भारतीय कपड़ों की कई किस्मों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन प्रतिबंधों का भारत के कपड़ा उद्योग पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर भी सूती व रेशमी वस्त्रों और कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात-व्यापार चलता रहा।
- इस दौरान इंग्लैण्ड में कपड़ा-उद्योग का विकास तीव्र गति से हो रहा था। इस उद्योग ने भारतीय कपड़ों की किस्मों से प्रतिस्पर्धा करने की पूरी कोशिश की।

लखनऊ में बनने वाली छींट को **इंग्लैण्ड की महिलाएँ** बहुत पसंद करती थीं।

- 1754 ई. तक अंग्रेज यह दावा करने लगे कि, वे भारती[य] दस्तकारों से बेहतर छपाई कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति और [न]ई मशीनों ने इंग्लैण्ड के कपड़ा उद्योग की मदद की। इससे भारती[य] कपड़ों के निर्यात की स्थिति बिगड़ गई।

- ब्रिटिश व्यापारियों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भारत और इंग्लैण्ड में कुछ कदम उठाए गए। इससे भारतीय उद्योगों को क्षति पहुँची।
- कम्पनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके ऐजेंटों ने कपड़ा और अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को विवश किया कि, वे उनसे बाजार भाव से 20 से 40 प्रतिशत तक कम कीमत लें। उस समय ढाका मलमल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। ढाका के उत्पादकों ने कीमतें घटाने का विरोध किया और ऊँची कीमतों की माँग करने पर उनके विरुद्ध बल प्रयोग किया गया।
- कम्पनी के अधिकारी कपास की कीमत को नियंत्रित करने लगे, तो कपड़ा उत्पादकों की कठिनाइयाँ और भी अधिक बढ़ गईं।
- बंगाल में अच्छे किस्म का कपास दक्कन से आता था। कम्पनी के अधिकारी दक्कन से थोक में कपास खरीदते थे तथा उसे ऊँची कीमतों पर बंगाल के बुनकरों को बेचते थे। इन सब कारणों से बुनकर समुदाय आर्थिक रूप से निःशक्त हो गया और सूती कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। मशीन से बने सस्ते सूती कपड़ों के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग को सबसे बड़ा धक्का लगा।

इंग्लैण्ड से भारत आने वाली वस्तुओं पर चुंगी नहीं लगती थी। दूसरी ओर, भारत से इंग्लैण्ड पहुँचने वाली वस्तुओं पर वहाँ ऊँची चुंगी लगायी जाती थी।

- परिवहन और संचार के साधनों में हुए सुधारों से भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत बनाने में आसानी हुई।
- भारत के विभिन्न भागों को बंदरगाहों से जोड़ने वाली सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया। नदी परिवहन का भी विकास किया गया। लेकिन परिवहन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधार भारत में रेलवे की शुरुआत थी।

डलहौजी के शासनकाल में **भारत** में **पहली रेलवे लाइन 1853 ई.** में **बम्बई** और **थाणे** के बीच प्रारम्भ की गई। इसके अतिरिक्त **डाक व्यवस्था** में सुधार तथा **1853 ई.** में **टेलीग्राफ** की शुरुआत की गई।

सामाजिक कानून

- लंबे समय तक ब्रिटिश शासकों ने सामाजिक कुरीतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मुख्य उद्देश्य था, भारत का आर्थिक शोषण करना, न कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना।
- इस काल में भारत आए कुछ ब्रिटिश प्रशासक, मानवतावादी और सुधारवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्हीं के प्रयासों से उन्नीसवीं सदी के पहले भाग में भारत में कुछ मानवतावादी कदम उठाए गए। इसमें कुछ भारतीयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उस समय देश के कुछ भागों की कुछ समुदायों में शिशु-कन्या वध की प्रथा प्रचलित थी। कन्या के जन्म लेते ही उसे मार डाला जाता था। उस समय की सामाजिक प्रथाओं के अनुसार कन्याओं का विवाह अपनी जाति में करना पड़ता था।
- कन्या के विवाह में पिता को बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ता था। कन्या का अविवाहित रहना परिवार के लिए कलंक की बात समझी जाती थी। ऐसा न हो इसलिए कई कन्याओं का बचपन में वध कर दिया जाता था।
- कभी-कभी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए नवजात पुत्र और पुत्री, दोनों को पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस क्रूर प्रथा को बंद करने के लिए सरकार ने कानून बनाए। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता था।
- समाज के कुछ वर्गों में विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, जिस कारण उन्हें कष्ट भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। हिंदुओं की कुछ तथाकथित उच्च जातियों में प्रचलित कुप्रथा थी जिसके अनुसार मृत व्यक्ति की पत्नी को पति के साथ चिता में जलकर प्राण आहुति देनी पड़ती थी। इस कुप्रथा को सतीदाह या सती प्रथा कहते थे।
- 1829 ई. में बने एक कानून के माध्यम से इस क्रूर प्रथा पर रोक लगा दी गई। यह कानून गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक के समय में लागू हुआ।
- राजा राममोहन राय द्वारा प्रारम्भ किए गए दीर्घकालिक आंदोलन से इस प्रथा को बंद करने में सहायता मिली।
- समाज-सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से सरकार ने 7 दिसम्बर 1856 ई. में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया।
- भारत में गुलामों का व्यापार भी सतत रूप से प्रचलित था। हालाँकि यह बड़े पैमाने पर नहीं होता था। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए विवश होते थे।
- गुलामों या दासों से अधिकांश घरेलू काम कराए जाते थे। कभी-कभी उन्हें अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा जाता था।
- 1843 ई. में एक कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार का मुख्य प्रयास ब्रिटिश हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करना था।
- दूरगामी सामाजिक सुधारों में उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी इस दिशा में स्वयं भारतीयों ने प्रयास किए।
- भारतीयों ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए आंदोल शुरू किए, जो बाद में देश की आजादी के लिए चलाए जाने व राष्ट्रवादी आंदोलनों का आधार बने।